न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 42/2023 बउनवानी रामजीलाल मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार
पुत्र श्री भवंर लाल मीना निवासी शास्त्री नगर खेरदा,स0मा0
GCMS No-2023/63

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 5.4.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी को दण्डित आदेश क्रमांक/सम/2022/1474/0078 निर्णय दिनांक 31.3.2023 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।
2. बटर सीटो का कार्य पूर्ण नही होने पर तहसील खण्डार के पटवारियो के विरूद्व की गयी अनुसाशनात्मक कार्यवाही एवं पटवारियो द्वारा पेश जवाब तथा की गयी कार्यवाही वर्ष,2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/613 दिनांक 18.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए 6/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना के लिए 6/–रू शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने बाबत लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलान्ट को चाहिए कि वह 6/–रू शुल्क जमा करवाकर उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय से सूचना प्राप्त कर लेवे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner